ISSN: 2393-8048
International Advance Journal of Engineering, Science and Management (IAJESM)
Multidisciplinary, Multilingual, Indexed, Double Blind, Open Access, Peer-Reviewed, Refereed-International Journal.
SJIF Impact Factor =8.152, July-December 2025, Submitted in July 2025

महिला सशक्तिकरण में सरकार की भूमिका : एक अध्ययन

सुमन पारीक, शोधार्थी, टांटिया विश्वविद्यालय, श्री गंगानगर
डॉ0 शिल्पा रानी, सहायक आचार्य, टांटिया विश्वविद्यालय, श्री गंगानगर

शोध का सारांश

महिला सशक्तिकरण वर्तमान समय की सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक अवधारणाओं में से एक है। किसी भी राष्ट्र की वास्तविक प्रगति तभी संभव मानी जाती है जब महिलाओं को समान अधिकार, शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार एवं सम्मानजनक जीवन के अवसर प्राप्त हों। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में महिलाओं को संविधान द्वारा समानता, स्वतंत्रता एवं न्याय के अधिकार प्रदान किए गए हैं, किंतु सामाजिक परंपराओं, आर्थिक असमानताओं तथा पितृसत्तात्मक व्यवस्था के कारण लंबे समय तक महिलाओं की स्थिति कमजोर बनी रही। महिलाओं को शिक्षा, संपत्ति, निर्णय लेने की स्वतंत्रता तथा सामाजिक सहभागिता से वंचित रखा गया, जिसके कारण उनके विकास की गति प्रभावित हुई। ऐसी स्थिति में महिलाओं के उत्थान एवं सशक्तिकरण के लिए सरकार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाती है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति सुधारने के लिए अनेक संवैधानिक प्रावधान, नीतियाँ, कानून एवं योजनाएँ लागू कीं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 एवं 21 महिलाओं को समानता, स्वतंत्रता एवं सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त राज्य के नीति निदेशक तत्वों में महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा एवं कल्याण को विशेष महत्व दिया गया है। सरकार ने महिलाओं के विकास को राष्ट्रीय विकास से जोड़ते हुए उन्हें समाज की मुख्यधारा में शामिल करने का निरंतर प्रयास किया है।

महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ', 'सर्व शिक्षा अभियान', 'कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना' तथा 'सुकन्या समृद्धि योजना' जैसी योजनाएँ संचालित की गई हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य बालिकाओं की शिक्षा, सुरक्षा एवं भविष्य को मजबूत बनाना है। महिला शिक्षा के विस्तार से महिलाओं में जागरूकता, आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता का विकास हुआ है। शिक्षित महिलाएँ अपने अधिकारों के प्रति अधिक जागरूक होती हैं तथा परिवार एवं समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत करने हेतु सरकार ने स्वरोजगार एवं रोजगार संबंधी अनेक योजनाएँ लागू की हैं। स्वयं सहायता समूह, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, मुद्रा योजना एवं कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया गया है। आर्थिक आत्मनिर्भरता महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ाती है तथा उन्हें परिवार एवं समाज में निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त महिलाओं की बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं तक पहुँच बढ़ाने के लिए भी सरकार द्वारा विशेष प्रयास किए गए हैं।

महिलाओं की सुरक्षा एवं मानवाधिकारों की रक्षा हेतु सरकार ने अनेक कानून बनाए हैं। दहेज निषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, बाल विवाह निषेध अधिनियम तथा कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निषेध अधिनियम जैसे कानून महिलाओं को सामाजिक एवं कानूनी सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त महिला हेल्पलाइन, वन स्टॉप सेंटर योजना तथा निर्भया फंड जैसी पहलें महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य महिलाओं के विरुद्ध हिंसा एवं शोषण को रोकना तथा उन्हें सुरक्षित वातावरण प्रदान करना है।

राजनीतिक क्षेत्र में भी सरकार ने महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। पंचायती राज संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किए जाने से महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता एवं नेतृत्व क्षमता में वृद्धि हुई है। आज महिलाएँ संसद, विधानसभाओं, प्रशासनिक सेवाओं एवं अन्य महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर रही हैं, जो महिला सशक्तिकरण का सकारात्मक संकेत है। इसके बावजूद अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि आज भी महिलाओं को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, लैंगिक भेदभाव, घरेलू हिंसा तथा सामाजिक कुरीतियाँ महिलाओं के विकास में बाधा उत्पन्न करती हैं। कई बार सरकारी योजनाओं का लाभ सभी महिलाओं तक प्रभावी रूप से नहीं पहुँच पाता। महिलाओं में जागरूकता की कमी तथा सामाजिक रूढ़िवादिता भी उनके सशक्तिकरण में बाधक बनती है।

यह शोधपत्र महिला सशक्तिकरण में सरकार की भूमिका का विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है। अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से महिलाओं की स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है, किंतु वास्तविक महिला सशक्तिकरण के लिए केवल सरकारी योजनाएँ एवं कानून पर्याप्त नहीं हैं। इसके लिए समाज की मानसिकता में परिवर्तन, महिला शिक्षा का प्रसार, आर्थिक अवसरों की उपलब्धता एवं महिलाओं के प्रति सम्मान की भावना विकसित करना भी आवश्यक है।

शोध कुंजी

महिला सशक्तिकरण, सरकार की भूमिका, महिला शिक्षा, महिला सुरक्षा, मानवाधिकार, लैंगिक समानता, सरकारी योजनाएँ, आर्थिक आत्मनिर्भरता, सामाजिक न्याय, महिला विकास आदि।

शोध की प्रस्तावना

महिला किसी भी समाज, संस्कृति एवं राष्ट्र की आधारशिला मानी जाती है। परिवार के निर्माण, सामाजिक मूल्यों के संरक्षण तथा आने वाली पीढ़ियों के विकास में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यदि महिलाओं को शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान एवं विकास के समान अवसर प्राप्त हों, तो समाज का समग्र एवं संतुलित विकास संभव हो सकता है। इसी कारण वर्तमान समय में महिला सशक्तिकरण केवल सामाजिक आवश्यकता नहीं, बल्कि राष्ट्रीय विकास की अनिवार्य शर्त बन चुका है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में महिलाओं को समान अधिकार एवं अवसर प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा

अनेक प्रयास किए गए हैं। महिलाओं की स्थिति सुधारने तथा उन्हें आत्मनिर्भर एवं जागरूक बनाने में सरकार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है।

भारतीय इतिहास में महिलाओं की स्थिति समय–समय पर बदलती रही है। वैदिक काल में महिलाओं को सम्मानजनक स्थान प्राप्त था तथा वे शिक्षा, धर्म, राजनीति एवं सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेती थीं। गार्गी, मैत्रेयी एवं अपाला जैसी विदुषी महिलाओं का उल्लेख प्राचीन भारतीय ग्रंथों में मिलता है। उस समय महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने, धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने तथा सामाजिक निर्णयों में सम्मिलित होने का अधिकार था। किंतु मध्यकालीन समय में सामाजिक कुरीतियों एवं पितृसत्तात्मक व्यवस्था के प्रभाव से महिलाओं की स्थिति कमजोर होती चली गई। बाल विवाह, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, सती प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या एवं अशिक्षा जैसी समस्याओं ने महिलाओं के विकास को गंभीर रूप से प्रभावित किया। महिलाओं को घर की चारदीवारी तक सीमित कर दिया गया तथा उन्हें सामाजिक एवं आर्थिक निर्णयों से दूर रखा गया।

आधुनिक काल में सामाजिक सुधार आंदोलनों ने महिलाओं की स्थिति सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले एवं सावित्रीबाई फुले जैसे समाज सुधारकों ने महिला शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह एवं सामाजिक समानता के लिए संघर्ष किया। इन प्रयासों ने महिलाओं के अधिकारों के प्रति समाज में जागरूकता उत्पन्न की तथा महिलाओं की स्थिति सुधारने की दिशा में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। स्वतंत्रता आंदोलन में भी महिलाओं ने सक्रिय भागीदारी निभाई, जिससे समाज में महिलाओं की क्षमता एवं नेतृत्व को नई पहचान मिली।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने महिलाओं के विकास एवं कल्याण को विशेष महत्व दिया। भारतीय संविधान ने महिलाओं को समानता, स्वतंत्रता एवं सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार प्रदान किया। संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत समानता का अधिकार, अनुच्छेद 15 के अंतर्गत लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध, अनुच्छेद 16 के अंतर्गत समान अवसर का अधिकार तथा अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त राज्य के नीति निदेशक तत्वों में महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा एवं कार्य परिस्थितियों में सुधार पर विशेष बल दिया गया।

महिला सशक्तिकरण का अर्थ केवल महिलाओं को अधिकार प्रदान करना नहीं है, बल्कि उन्हें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं मानसिक रूप से इतना सक्षम बनाना है कि वे अपने जीवन से संबंधित निर्णय स्वतंत्र रूप से ले सकें। सरकार की भूमिका महिलाओं के सशक्तिकरण में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार ही ऐसी नीतियाँ एवं योजनाएँ बनाती है जो महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा एवं सामाजिक न्याय प्रदान कर सकें। महिलाओं के विकास के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है, जिनका उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं जागरूक बनाना है।

महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ', 'सर्व शिक्षा अभियान', 'कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना' तथा 'सुकन्या समृद्धि योजना' जैसी योजनाएँ प्रारंभ की हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य बालिकाओं को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना तथा समाज में बालिका शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। शिक्षा महिलाओं के आत्मविश्वास, जागरूकता एवं आत्मनिर्भरता को बढ़ाने का सबसे प्रभावी माध्यम है। शिक्षित महिला अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों को बेहतर ढंग से समझती है तथा परिवार एवं समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है।

महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए सरकार द्वारा स्वरोजगार एवं कौशल विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जा रहा है। स्वयं सहायता समूह, मुद्रा योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एवं विभिन्न लघु उद्योग योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया गया है। आर्थिक आत्मनिर्भरता महिलाओं के आत्मसम्मान एवं निर्णय क्षमता को बढ़ाती है तथा उन्हें समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाने में सहायक होती है।

महिलाओं की सुरक्षा एवं मानवाधिकारों की रक्षा के लिए सरकार ने अनेक महत्वपूर्ण कानून बनाए हैं। घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, दहेज निषेध अधिनियम, बाल विवाह निषेध अधिनियम तथा कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निषेध अधिनियम महिलाओं को सामाजिक एवं कानूनी सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त महिला हेल्पलाइन, वन स्टॉप सेंटर योजना एवं निर्भया फंड जैसी पहलें महिलाओं की सुरक्षा एवं सहायता के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हुई हैं। सरकार द्वारा महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को रोकने एवं उन्हें सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

राजनीतिक क्षेत्र में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा विशेष प्रयास किए गए हैं। पंचायती राज संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किए जाने से उनकी राजनीतिक सहभागिता एवं नेतृत्व क्षमता में वृद्धि हुई है। आज महिलाएँ प्रशासन, राजनीति, शिक्षा, विज्ञान, खेल एवं व्यापार जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ प्राप्त कर रही हैं। यह परिवर्तन महिला सशक्तिकरण एवं सरकारी प्रयासों की सफलता को दर्शाता है।

इसके बावजूद समाज में महिलाओं के सामने अनेक चुनौतियाँ अभी भी विद्यमान हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, लैंगिक भेदभाव, घरेलू हिंसा एवं सामाजिक कुरीतियाँ महिलाओं के विकास में बाधा उत्पन्न कर रही हैं। कई बार सरकारी योजनाओं का लाभ सभी महिलाओं तक प्रभावी रूप से नहीं पहुँच पाता। महिलाओं में जागरूकता की कमी तथा पारंपरिक सामाजिक सोच भी महिला सशक्तिकरण में अवरोध उत्पन्न करती है।

अतः महिला सशक्तिकरण में सरकार की भूमिका का अध्ययन वर्तमान सामाजिक व्यवस्था को समझने एवं महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए आवश्यक उपायों का विश्लेषण करने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह विषय केवल महिलाओं के विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय, मानवाधिकार, लोकतंत्र एवं राष्ट्र निर्माण से भी जुड़ा हुआ है। महिलाओं को समान अवसर, शिक्षा, सुरक्षा एवं सम्मान प्रदान करके ही एक प्रगतिशील, न्यायपूर्ण एवं विकसित समाज

का निर्माण संभव है। इसलिए सरकार, समाज एवं परिवार सभी को मिलकर महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु निरंतर एवं प्रभावी प्रयास करने चाहिए।

शोध के सोपान

प्रस्तुत शोधपत्र "महिला सशक्तिकरण में सरकार की भूमिका : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन" को वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित रूप से पूर्ण करने के लिए विभिन्न शोध सोपानों का अनुसरण किया गया है। किसी भी शोध कार्य की सफलता उसके सुव्यवस्थित चरणों पर निर्भर करती है। शोध प्रक्रिया के माध्यम से विषय का चयन, तथ्यों का संकलन, विश्लेषण तथा निष्कर्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। इस अध्ययन में महिलाओं के विकास, सरकारी योजनाओं, कानूनों तथा महिला सशक्तिकरण में सरकार की भूमिका का विस्तृत अध्ययन करने हेतु निम्नलिखित सोपानों को अपनाया गया है –

1. विषय का चयन – शोध प्रक्रिया का प्रथम एवं सबसे महत्वपूर्ण चरण विषय का चयन होता है। वर्तमान समय में महिला सशक्तिकरण राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अत्यंत महत्वपूर्ण विषय बन चुका है। समाज में महिलाओं की स्थिति, उनके अधिकारों की सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता से संबंधित समस्याएँ निरंतर चर्चा का विषय हैं।
महिलाओं के विकास में सरकार की भूमिका को समझने तथा सरकारी योजनाओं एवं कानूनों की प्रभावशीलता का अध्ययन करने के उद्देश्य से "महिला सशक्तिकरण में सरकार की भूमिका" विषय का चयन किया गया। यह विषय सामाजिक दृष्टि से अत्यंत प्रासंगिक एवं उपयोगी है क्योंकि महिलाओं का विकास राष्ट्र निर्माण एवं सामाजिक समानता से सीधे जुड़ा हुआ है।

2. समस्या का निर्धारण – विषय चयन के पश्चात अध्ययन की प्रमुख समस्याओं को निर्धारित किया गया। इस चरण में यह समझने का प्रयास किया गया कि सरकार द्वारा अनेक योजनाएँ एवं कानून लागू किए जाने के बावजूद महिलाओं को किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

3. अध्ययन के उद्देश्य निर्धारित करना –शोध को स्पष्ट दिशा प्रदान करने के लिए अध्ययन के उद्देश्यों का निर्धारण किया गया। इस चरण में यह निश्चित किया गया कि शोध के माध्यम से किन तथ्यों एवं समस्याओं का अध्ययन किया जाएगा। अध्ययन का मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण में सरकार की भूमिका का विश्लेषण करना तथा महिलाओं के विकास हेतु संचालित योजनाओं एवं कानूनों का अध्ययन करना रहा। इसके अतिरिक्त महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता पर सरकारी प्रयासों के प्रभाव का भी अध्ययन किया गया। उद्देश्यों के निर्धारण से शोध अधिक संगठित एवं व्यवस्थित बना।

4. संबंधित साहित्य का अध्ययन –शोध को प्रमाणिक एवं तथ्यपरक बनाने के लिए विभिन्न पुस्तकों, शोधपत्रों, सरकारी रिपोर्टों, समाचार पत्रों एवं इंटरनेट स्रोतों का अध्ययन किया गया। महिला सशक्तिकरण, महिला विकास, सरकारी योजनाओं, महिला अधिकारों एवं सामाजिक न्याय से संबंधित साहित्य का विस्तृत अध्ययन किया गया। इस चरण में विभिन्न विद्वानों एवं शोधकर्ताओं के विचारों का विश्लेषण किया गया, जिससे विषय की पृष्ठभूमि को समझने में सहायता मिली। साहित्य अध्ययन के माध्यम से यह भी ज्ञात हुआ कि महिलाओं के विकास हेतु सरकार द्वारा पूर्व में कौन–कौन से प्रयास किए गए हैं तथा वर्तमान समय में उनकी क्या स्थिति है।

5. तथ्य एवं आंकड़ों का संकलन – शोध कार्य में आवश्यक तथ्यों एवं आंकड़ों का संकलन द्वितीयक स्रोतों के माध्यम से किया गया। इसके अंतर्गत सरकारी रिपोर्टें, जनगणना के आंकड़े, राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्टें, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की रिपोर्टें, शोध पत्रिकाएँ एवं समाचार पत्रों से संबंधित जानकारी प्राप्त की गई। महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, राजनीतिक सहभागिता एवं अपराधों से संबंधित आंकड़ों को एकत्रित कर उनका अध्ययन किया गया। इन आंकड़ों के माध्यम से महिलाओं की वास्तविक सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को समझने का प्रयास किया गया।

6. सरकारी योजनाओं एवं कानूनों का अध्ययन – महिला सशक्तिकरण में सरकार की भूमिका को समझने के लिए महिलाओं के कल्याण एवं विकास हेतु संचालित योजनाओं एवं कानूनों का अध्ययन किया गया। अध्ययन में निम्नलिखित योजनाओं एवं कार्यक्रमों का विश्लेषण किया गया –
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, उज्ज्वला योजना, महिला हेल्पलाइन योजना, वन स्टॉप सेंटर योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम

इसके अतिरिक्त महिलाओं की सुरक्षा एवं अधिकारों से संबंधित प्रमुख कानूनों जैसेकृदहेज निषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निषेध अधिनियम एवं बाल विवाह निषेध अधिनियम का भी अध्ययन किया गया। इससे यह समझने में सहायता मिली कि सरकार महिलाओं के अधिकारों की रक्षा एवं उनके विकास के लिए किस प्रकार प्रयास कर रही है।

7. तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण – संकलित तथ्यों एवं आंकड़ों को व्यवस्थित रूप से वर्गीकृत किया गया तथा उनका विश्लेषण किया गया। महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा एवं सामाजिक स्थिति पर सरकारी योजनाओं के प्रभाव का तुलनात्मक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया। इस चरण में यह समझने का प्रयास किया गया कि सरकारी योजनाएँ महिलाओं के वास्तविक सशक्तिकरण में कितनी प्रभावी सिद्ध हो रही हैं तथा किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है। महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं का भी गहन विश्लेषण किया गया।

8. निष्कर्ष एवं सुझाव प्रस्तुत करना –शोध प्रक्रिया के अंतिम चरण में संपूर्ण अध्ययन के आधार पर निष्कर्ष प्रस्तुत किए गए। अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि सरकार द्वारा महिलाओं के विकास हेतु अनेक महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं, जिनसे महिलाओं की शिक्षा, राजनीतिक सहभागिता एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता में वृद्धि हुई है। इसके बावजूद अशिक्षा, गरीबी, लैंगिक भेदभाव एवं महिलाओं के विरुद्ध हिंसा जैसी समस्याएँ अभी भी विद्यमान हैं। इसके आधार पर महिला शिक्षा को बढ़ावा देने, रोजगार के अवसर बढ़ाने, कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने एवं महिलाओं के प्रति सामाजिक जागरूकता विकसित करने जैसे सुझाव प्रस्तुत किए गए।

ISSN: 2393-8048
International Advance Journal of Engineering, Science and Management (IAJESM)
Multidisciplinary, Multilingual, Indexed, Double Blind, Open Access, Peer-Reviewed, Refereed-International Journal.
SJIF Impact Factor =8.152, July-December 2025, Submitted in July 2025

शोध के उद्देश्य

प्रस्तुत शोधपत्र "महिला सशक्तिकरण में सरकार की भूमिका : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन" का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के विकास एवं सशक्तिकरण में सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का अध्ययन एवं विश्लेषण करना है। किसी भी राष्ट्र के समग्र विकास के लिए महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक एवं राजनीतिक रूप से सशक्त होना अत्यंत आवश्यक है। महिलाओं को समान अवसर, सुरक्षा एवं सम्मान प्रदान करना केवल सामाजिक आवश्यकता नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की मूल भावना भी है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इस अध्ययन के माध्यम से महिला सशक्तिकरण में सरकार की भूमिका, योजनाओं, नीतियों एवं कानूनों का विस्तृत अध्ययन किया गया है।

1. महिला सशक्तिकरण की अवधारणा का अध्ययन करना
2. महिला विकास में सरकार की भूमिका का विश्लेषण करना
3. महिलाओं के लिए संचालित सरकारी योजनाओं का अध्ययन करना
4. महिलाओं की शिक्षा एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता पर सरकारी प्रयासों के प्रभाव का अध्ययन करना
5. महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा हेतु बनाए गए कानूनों का अध्ययन करना
6. महिला सशक्तिकरण में बाधक तत्वों की पहचान करना
7. महिलाओं में जागरूकता एवं सामाजिक समानता को बढ़ावा देने की आवश्यकता स्पष्ट करना
8. महिला सशक्तिकरण हेतु सुझाव प्रस्तुत करना

शोध का महत्व

महिला सशक्तिकरण में सरकार की भूमिका का अध्ययन वर्तमान समय में अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि किसी भी राष्ट्र की प्रगति महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति पर निर्भर करती है। यदि महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं समान अवसर प्राप्त नहीं होंगे, तो राष्ट्र का समग्र विकास संभव नहीं हो सकता। महिलाओं को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने, उनके अधिकारों की रक्षा करने तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में सरकार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इसी कारण महिला सशक्तिकरण एवं सरकारी प्रयासों का अध्ययन सामाजिक विज्ञान, राजनीति विज्ञान तथा विकास अध्ययन के क्षेत्र में विशेष महत्व रखता है। महिला सशक्तिकरण में सरकार की भूमिका समाज में समानता एवं सामाजिक न्याय स्थापित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतीय समाज में लंबे समय तक महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम महत्व दिया गया तथा उन्हें शिक्षा, संपत्ति एवं निर्णय लेने के अधिकारों से वंचित रखा गया। सरकार द्वारा महिलाओं को समान अधिकार एवं अवसर प्रदान करने के लिए विभिन्न कानून एवं योजनाएँ लागू की गईं। इन प्रयासों का महत्व इस बात में है कि उन्होंने महिलाओं को सामाजिक भेदभाव एवं असमानता से मुक्त होकर सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर प्रदान किया। जब महिलाएँ शिक्षित एवं जागरूक बनती हैं, तब वे अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहती हैं और समाज में व्याप्त अन्याय एवं भेदभाव का विरोध करने में सक्षम होती हैं। इससे समाज में समानता एवं सामाजिक न्याय की भावना मजबूत होती है।

सरकार की भूमिका महिला शिक्षा के प्रसार में अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। शिक्षा महिला सशक्तिकरण का सबसे प्रभावी माध्यम मानी जाती है क्योंकि शिक्षित महिला अपने अधिकारों, कर्तव्यों एवं सामाजिक जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से समझती है। सरकार द्वारा 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ', 'सर्व शिक्षा अभियान', 'कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना' एवं छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से बालिका शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है। इन योजनाओं का महत्व इस बात में है कि उन्होंने समाज में बालिका शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न की तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं जागरूक बनने का अवसर प्रदान किया। शिक्षित महिलाएँ अपने परिवार एवं समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा एवं संस्कार प्रदान करती हैं, जिससे समाज का भविष्य अधिक सुदृढ़ बनता है।

महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना सरकार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। आर्थिक आत्मनिर्भरता महिलाओं के आत्मविश्वास एवं सामाजिक सम्मान को बढ़ाती है। जब महिलाएँ आर्थिक रूप से सक्षम होती हैं, तब वे अपने जीवन से संबंधित निर्णय स्वतंत्र रूप से लेने में सक्षम बनती हैं। सरकार द्वारा स्वरोजगार योजनाएँ, स्वयं सहायता समूह, मुद्रा योजना, कौशल विकास कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जैसी योजनाएँ संचालित की गई हैं। इन योजनाओं का महत्व इस बात में है कि उन्होंने महिलाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए तथा उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने में सहायता दी। महिलाओं की आर्थिक भागीदारी से परिवार की आय में वृद्धि होती है तथा राष्ट्र के आर्थिक विकास को भी गति मिलती है। इसलिए महिला सशक्तिकरण में सरकार की भूमिका आर्थिक विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।

महिलाओं की सुरक्षा एवं मानवाधिकारों की रक्षा किसी भी लोकतांत्रिक सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है। समाज में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, घरेलू उत्पीड़न, दहेज प्रथा एवं लैंगिक भेदभाव जैसी समस्याएँ लंबे समय से विद्यमान रही हैं। सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, दहेज निषेध अधिनियम, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निषेध अधिनियम एवं बाल विवाह निषेध अधिनियम जैसे कानून बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त महिला हेल्पलाइन, निर्भया फंड एवं वन स्टॉप सेंटर जैसी योजनाएँ महिलाओं को सुरक्षा एवं सहायता प्रदान करती हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किए जाने से उनकी राजनीतिक सहभागिता में वृद्धि हुई है।

इसका महत्व इस बात में है कि महिलाएँ अब निर्णय प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं तथा अपने अधिकारों एवं समस्याओं को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर रही हैं। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी से समाज में महिला नेतृत्व एवं

समानता की भावना को प्रोत्साहन मिला है। महिलाएँ आज संसद, विधानसभाओं एवं प्रशासनिक सेवाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सकारात्मक परिवर्तन है।

शोध का निष्कर्ष

प्रस्तुत शोधपत्र "महिला सशक्तिकरण में सरकार की भूमिका : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन" के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक एवं राजनीतिक विकास में सरकार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली रही है। किसी भी राष्ट्र की प्रगति तब तक पूर्ण नहीं मानी जा सकती जब तक महिलाओं को समान अधिकार, सम्मान, सुरक्षा एवं विकास के अवसर प्राप्त न हों। महिला सशक्तिकरण केवल महिलाओं के उत्थान का विषय नहीं है, बल्कि यह सामाजिक न्याय, लोकतंत्र, मानवाधिकार एवं राष्ट्र निर्माण से जुड़ा हुआ व्यापक विषय है।

अध्ययन से यह ज्ञात हुआ कि भारतीय समाज में लंबे समय तक महिलाओं को सामाजिक असमानता, अशिक्षा, आर्थिक निर्भरता एवं विभिन्न कुरीतियों का सामना करना पड़ा। बाल विवाह, दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, घरेलू हिंसा एवं लैंगिक भेदभाव जैसी समस्याओं ने महिलाओं के विकास को बाधित किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने महिलाओं की स्थिति सुधारने हेतु अनेक संवैधानिक प्रावधान, कानून एवं योजनाएँ लागू कीं। भारतीय संविधान ने महिलाओं को समानता, स्वतंत्रता एवं सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार प्रदान किया, जिससे महिलाओं के अधिकारों की रक्षा को कानूनी आधार प्राप्त हुआ।

सरकार द्वारा महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ', 'कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना', 'सुकन्या समृद्धि योजना' एवं अन्य शैक्षिक योजनाएँ प्रारंभ की गईं। इन योजनाओं के परिणामस्वरूप महिला शिक्षा एवं जागरूकता में वृद्धि हुई है। शिक्षित महिलाएँ अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति अधिक जागरूक हुई हैं तथा सामाजिक एवं आर्थिक निर्णयों में सक्रिय भूमिका निभाने लगी हैं। अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि शिक्षा महिला सशक्तिकरण का सबसे प्रभावी माध्यम है क्योंकि यह महिलाओं में आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता एवं निर्णय क्षमता का विकास करती है।

महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए सरकार द्वारा स्वरोजगार योजनाएँ, स्वयं सहायता समूह, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एवं कौशल विकास कार्यक्रम संचालित किए गए हैं। इन प्रयासों से महिलाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं, जिससे उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता में वृद्धि हुई है। आर्थिक रूप से सशक्त महिला परिवार एवं समाज में अधिक सम्मान प्राप्त करती है तथा अपने जीवन से संबंधित निर्णय स्वतंत्र रूप से लेने में सक्षम बनती है।

महिलाओं की सुरक्षा एवं मानवाधिकारों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, दहेज निषेध अधिनियम, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निषेध अधिनियम एवं बाल विवाह निषेध अधिनियम जैसे कानून बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त महिला हेल्पलाइन, निर्भया फंड एवं वन स्टॉप सेंटर जैसी योजनाएँ महिलाओं को सुरक्षा एवं सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण सिद्ध हुई हैं। इन प्रयासों के कारण महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा एवं न्याय व्यवस्था को मजबूती मिली है।

राजनीतिक क्षेत्र में भी सरकार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। पंचायती राज संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किए जाने से उनकी राजनीतिक सहभागिता एवं नेतृत्व क्षमता में वृद्धि हुई है। महिलाएँ आज राजनीति, प्रशासन, शिक्षा, विज्ञान, खेल एवं व्यापार जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दे रही हैं। यह परिवर्तन महिला सशक्तिकरण एवं सरकारी प्रयासों की सफलता को दर्शाता है।

इसके बावजूद अध्ययन से यह भी स्पष्ट हुआ कि आज भी समाज में महिलाओं को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, घरेलू हिंसा एवं लैंगिक भेदभाव जैसी समस्याएँ महिलाओं के विकास में बाधा उत्पन्न कर रही हैं। कई महिलाएँ अपने अधिकारों एवं सरकारी योजनाओं के प्रति पूर्ण रूप से जागरूक नहीं हैं, जिसके कारण वे सरकारी सुविधाओं का लाभ प्राप्त नहीं कर पातीं। सामाजिक रूढ़िवादिता एवं पितृसत्तात्मक मानसिकता भी महिला सशक्तिकरण में बड़ी बाधा बनी हुई है।

अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि महिला सशक्तिकरण के लिए केवल सरकारी योजनाएँ एवं कानून पर्याप्त नहीं हैं। इसके लिए समाज एवं परिवार की सकारात्मक भूमिका भी अत्यंत आवश्यक है। महिलाओं के प्रति सम्मान, समानता एवं सहयोग की भावना विकसित किए बिना वास्तविक सामाजिक परिवर्तन संभव नहीं हो सकता। शिक्षा, जागरूकता एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता महिलाओं के विकास के सबसे महत्वपूर्ण आधार हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए आवश्यक है कि सरकार द्वारा संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए तथा ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों तक इन योजनाओं की पहुँच बढ़ाई जाए। महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार एवं सुरक्षा संबंधी सुविधाएँ समान रूप से उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त महिलाओं के विरुद्ध अपराधों पर कठोर नियंत्रण एवं कानूनों का प्रभावी पालन भी आवश्यक है। समग्र रूप से यह कहा जा सकता है कि महिला सशक्तिकरण राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। जब महिलाएँ शिक्षित, आत्मनिर्भर, सुरक्षित एवं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगी, तभी समाज में वास्तविक समानता एवं सामाजिक न्याय की स्थापना संभव होगी। इसलिए सरकार, समाज एवं परिवार सभी को मिलकर महिलाओं के विकास एवं अधिकारों की रक्षा हेतु निरंतर एवं प्रभावी प्रयास करने चाहिए।

अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि महिला सशक्तिकरण में सरकार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा महिलाओं को समाज की मुख्यधारा से जोड़कर ही राष्ट्र के संतुलित एवं स्थायी विकास को सुनिश्चित किया जा सकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. आहूजा राम एवं आहूजा मुकेष, (1998), विवेचनात्मक अपराधषास्त्र, (प्रथम संस्करण), रावत पब्लिकेषन्स, जयपुर
2. अंसारी, एम.ए., (1989), नारी चेतना और अपराध, (प्रथम संस्करण), पंचषील प्रकाषन, जयपुर

3. लार्क एलिस डब्ल्यू, (2017), अनमोल बेटियां (पहली पीढ़ी की पेषेवर महिलायें), सेज पब्लिकेषन इंडिया प्रा. लि.
4. कुमावत ललित, (2004), पंचायती राज एवं वंचित महिला समूह का उभरता नेतृत्व, (प्रथम संस्करण), क्लासिकल पब्लिषिंग कंपनी, नई दिल्ली
5. कोठारी गुलाब, (2013), सिमटता स्त्री तत्व, (द्वितीय संस्करण), पत्रिका प्रकाषन, जयपुर
6. डॉ. कुजूर स्कॉलस्टिका, (2011), वैदिक अनार्य नारी और आधुनिक आदिवासी नारी, (प्रथम संस्करण), ईस्टर्न बुक लिंकर्स, दिल्ली
7. कुमार विपिन (सं.), (2009), वैष्वीकरण एवं महिला सषक्तिकरण : विविध आयाम,रेगल पब्लिकेषन्स, नई दिल्ली
8. कुमार सुरेष, (2015), सामाजिक अपराध : एक विष्लेषण, नॉलेज बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली

SHRADHA EDUCATIONAL ACADEMY